# फर्द अहकाम

नाम न्यायालय गीतादेवी बनाम प्यारीदेवी

केस संख्या 39/2021

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|---|---|---|
| | 24/6/24 | प.क्र. उप.। दस्तावेज सूची पेश हुई। जो शा. कि. की गयी। पत्रावली वास्ते आदेश आगामी दिनांक 27/6/24 को पेश हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलेक्टर चौमूं (जयपुर) |
| | 27/6/24 | प.क्र. उप.। प्रा.पत्र 07R11 व लम्बित धारा 151 CPC प्रा.पत्र व जवाब प्रा.पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रा.पत्र 07R11 CPC स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा. कि. किया गया। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलेक्टर चौमूं (जयपुर) |

# डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

## न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूँ, जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

वाद संख्या :–39 / 2021

**गीता देवी वगै0 बनाम धापा देवी वगै0**

**वाद बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा**

**अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण मिनजामिनं मुददई रूबरू प्रियंका बड़गूजर आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वादी का वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता हैं।

निजी .....मबलिक ..... बाबत .....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 27.06.2024 को जारी किया गया।

दस्तखत.....

मोहर

ओहदा.....

**वाद के खर्चे**

| वादी | | प्रतिवादी | |
|---|---|---|---|
| | रुपया | | रुपया |
| 1. स्टाम्प अर्जी दावा | 4 | 1. स्टाम्प अर्जी दावा | |
| 2. स्टाम्प वकालतनामा | 2 | 2. स्टाम्प वकालतनामा | 0 |
| 3. स्टाम्प वजह सबूत | | 3. महन्ताना वकील | |
| 4. महन्ताना वकील | | 4. खर्चा गवाहन | |
| 5. खर्चा गवाहन | | 5. फीस कमिश्नर | |
| 6. फीस कमिश्नर | | 6.बाबत इजराय हुक्मनामा | |
| 7.बाबत इजराय हुक्मनामा | | 7.मुतफरिक | |
| 8.मुतफरिक | | | |
| जोड़ | 6 | जोड़ | 0 |

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

# न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूँ, जयपुर (ग्रामीण)

## पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

**वाद संख्या :–39/2021**

**गीता देवी वगै0 बनाम धापा देवी वगै0**

(वाद पत्र)

**प्रार्थना पत्र तहत आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 सी0पी0सी0**

**आदेश**

**दिनांक:–27.06.2024**

प्रार्थी/प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 एवं 8 ता 12 की ओर से प्रार्थना पत्र तहत आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का इस आशय का पेश किया गया है कि उक्त उनवानी प्रकरण में आज की तारीख पेशी नियत है। वादीगण द्वारा उपरोक्त उनवानी वाद मिथ्या तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है। वादीगण को उक्त वाद पत्र पेश करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि वाद पत्र में वर्णित तथाकथित भूमियां मन प्रतिवादीया सं0 1 की स्व–अर्जित भूमियां हैं, जिनसे किसी का कोई लेना देना, हक व संबंध नहीं हैं, ना ही मौके पर वादीगण का कोई कब्जा ही है। वादीगण ने मिथ्या तथ्यों पर, वास्तबिक तथ्यों को छुपाते हुए वादपत्र पेश किया है, वादीगण का वादपत्र कब्जे के अभाव में भी कत्तई चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण को दिनांक 20.06.2021 को अथवा अन्य किसी दिवस कोई वाद कारण उदित नहीं हुआ है, वादीगण का वादपत्र वाद कारण के अभाव में भी कत्तई चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण का वाद इसलिये भी चलने योग्य नहीं है कि मिन प्रतिवादीया सं0 1 उक्त भूमि को अपने अथक परिश्रम व मेहनत की कमाई से क्रय की है तथा मिन प्रतिवादीया सं0 1 वर्तमान में जीवित है तथा कानूनन मिन प्रतिवादीया सं0 1 की जीवित अवस्था में वादीगण को कोई हक अधिकार भूमियों बाबत प्राप्त नहीं होते हैं। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में किसी पक्षकार के जीवन काल में स्वअर्जित सम्पत्ति/भूमियों में उसके विधिक वारिसान का कोई हक अधिकार निहित नहीं होता है। इसलिये कानूनन वाद बार्ड बाई लॉ होने के कारण चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। मिन प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में उठायी गई आपत्तियां विधिक आपत्तियां हैं, जिनका निस्तारण प्रकरण में अग्रिम विचारण से पूर्व किया जाना न्यायहित में आवश्यक है अन्यथा मिन प्रार्थी/प्रतिवादीगण के विधिक अधिकारों का हनन होगा, जिसकी पूर्ति भविष्य में किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकेगी।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर यह निवेदन किया गया है कि प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण का वाद पत्र वाद कारण के अभाव में, कब्जे के अभाव में तथा मिथ्या तथ्यों पर प्रस्तुत किया हुआ होने से कानूनन मेन्टेनेबल ही नहीं होने से व विधि द्वारा वर्जित होने से मय हर्जा–खर्चा के खारिज फरमाया जाने की कृपा करें साथ ही दस्तावेज एवं न्यायिक दृष्टान्त RRT 2023(2) भंवरलाल बनाम श्रीमती फूला एवं Additional

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

District Judge-04 (North), Rohini Courts Delhi के निर्णय दिनांक 19.05.2022 बेबी प्रिंसी बनाम श्री ईश्वर सिंह पेश किये।

अप्रार्थीयागण/वादीयागण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि अप्रार्थीयागण/वादीयागण ने सही व वास्तविक तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश किया है। वाद व प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियां प्रतिवादीया सं0 1 की स्व–अर्जित सम्पत्ति कत्तई भी नहीं रही है, ना ही अप्रार्थीयागण/वादीयागण ने कोई तथ्य माननीय न्यायालय से छुपाये हैं। वास्तविकता में प्रतिवादीया सं0 1 के पति पांचू पुत्र घीसा की पैतृक सम्पत्ति वाके ग्राम जाहोता में स्थित थी जिसके आराजी खसरा नं0 2119. 2120 कुल किता 2 का कुल रकबां 0.52 हैक्टेयर भूमि को सुरजपोल गेट गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, लक्ष्मीनारायणपुरी जयपुर की स्कीम बालाजी विहार–8 में स्पष्ट रूप से प्रतिवादीया सं0 1 के पति से क्रय कर उक्त समिति ने उक्त खातेदारी जमीन में कॉलोनी विकसित की है, जिसकी प्रतिफल राशि से ही प्रतिवादीया सं0 1 धापा देवी ने वाद पत्र में वर्णित खातेदारी भूमियां खरीद की हैं एवं प्रतिवादीया सं0 1 के पौत्र मनोज का स्वर्गवास हो जाने के कारण स्व0 मनोज की पत्नी व उसके बच्चों को प्रतिवादीया सं0 1 की सम्पत्ति में स्वतः ही हक हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत निहित हो गया है जिस कारण वादीयागण वाद पत्र में वर्णित पैतृक भूमि में अपने हक हिस्से की घोषणा करवाने बाबत माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त वाद पत्र व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं, जिस कारण प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। दिनांक 20.06.2021 को प्रतिवादीगण सं0 1 ता 13 ने विवादित आराजियात बैचान हस्तानान्तरण करने व वादीयागण को मौका से बेदखल करने की धमकी देने तथा वादीयागण को उसके हक हिस्से से महरुम करने की कार्यवाही करने पर वादीयागण को वाद कारण उत्पन्न होने पर वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अपनी जवाबदेही से बचने के लिए व उक्त प्रकरण में देरी करने की गरज से प्रस्तुत किया है, जिस कारण प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण में उठाये गये ऐतराज विधि एवं तथ्यों का मिश्रित प्रश्न है जो उभयपक्षकारान की साक्ष्य होने के उपरान्त ही तय किये जा सकते हैं, जिस कारण प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। बहस सुनी गई। बहस में मुख्य रूप से उन्ही तथ्यों को दोहराया गया जो प्रा0 पत्र व जवाब प्रा0 पत्र में अंकित किये गये है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, प्रार्थना पत्र तहत आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी. व जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया गया।

प्रार्थीया/प्रतिवादीया सं0 1 धापा देवी पत्नी पांचूराम द्वारा वर्ष 2013 व 2015 में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खसरा नं0 306/2171, 307, 311, 311/1944 को सम्पूर्ण एवं खसरा नं0 308 का हिस्सा 1/3 भाग व 309 का हिस्सा 5/8 भाग स्वर्जित सम्पत्ति से क्रय किया जाकर सम्पूर्ण मालिकाना हक एवं अधिकार प्राप्त कर काबिज काश्त चली आ रही है। उक्त वर्णित भूमि को प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 ने अपनी स्वअर्जित सम्पत्ति से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय किये जाने से विवादित भूमि में अप्रार्थी/वादीगण को घोषणा का अनुतोष दिया जाना एवं तदनुसार तकासमा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। साथ ही प्रार्थिया/प्रतिवादिया सं0 1 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त RRT 2023(2) भंवरलाल बनाम श्रीमती फूला एवं

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Additional District Judge-04 (North), Rohini Courts Delhi के निर्णय दिनांक 19.05.2022 बेबी प्रिंसी बनाम श्री ईश्वर सिंह भी चस्पा होते हैं। अतः प्रार्थी/प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 एवं 8 ता 12 का प्रार्थना पत्र तहत आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी/वादीगण का वाद पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 एवं 8 ता 12 का प्रार्थना पत्र तहत आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 27.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
चौमूं

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)